तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.01.2026	राजस्व वाद पत्र संख्या 125/2025 उनवान भगवान बनाम कल्याण पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का.अधि पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विक्रय विलेख दिनांक 21.06.1980 के द्वारा प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में अधिकार रखता है तथा अन्य बाद में हुये सभी विक्रय एवं अन्तरण के नामान्तरण विधि विरुद्ध है तथा उक्त विधि विरुद्ध अन्तरण का सहारा लेकर अपार्थीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बर्द करने तथा शक्ल परिवर्तन करने वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखें। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तथाकथित विक्रय पत्र अवैधानिक रूप से निष्पादित किया गया है तथा उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य है, वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण वर्तमान मे खातेदार हैं तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है नाही कभी प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अंकन किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया – प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त भूमि पर धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पूर्व में किसी प्रकार का स्थगन आदेश, प्रार्थना पत्र में नहीं है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अपूरणीय क्षतिः– प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो कि अपूरणिय क्षति प्रार्थी को कारित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान साक्ष्य व सुनवाई से तय किये जायेगें। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ	